महिला और मानवाधिकार

डॉ. ओमप्रकाश बन्सीलाल झंवर
स्वा. सावरकर महाविद्यालय,
बीड

एक ओर समाज में जहाँ रीतिकाल और उन्नतीसवीं सदी में नारी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी वहीं दूसरी ओर उसी काल के कुछ महान समाज सुधारकों जैसे राजा राममोहन राय एवं महर्षि दयानंद सरस्वती ने नारी पर होने वाले अत्याचारों को रोका, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना शुरू किया तथा नारी जीवन मुं रोशनी की एक किरण बिखेरी। देश के कोने-कोने में फैले अनेक स्वयंसेवी संगठनों एवं शासकीय संगठनों ने भी नारियों की स्थिति बेहतर बनाने के अथक प्रयास किए।

५ जनवरी, १९८७ को सरकार के सर्वेक्षण से पता चला कि जितना विकास महिलाओं का हो रहा है उतना संतोषप्रद नहीं है। इसलिए कुछ निजी संस्थान सामने आए और उन्होंने नारी उत्थान के कई कार्यक्रम चलाए, जैसे `महिला आयोग` आदि। लावारिस महिलाओं या अनाथ कन्याओं के लिए भारत में अनेक `नारी-निकेतन` खोले गए जिसमें आश्रय लेकर नारी अपने को शिक्षित कर रही है तथा कुँवारी, बेसहारा युवतियों का विवाह कराया जा रहा है ताकि उनका जीवन व्यवस्थित हो सके। रूस, चीन, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैण्ड आदि देशों की नारियाँ हमारे देशों की नारियों से कहीं आगे हैं। यदि हमारे देश में शिक्षा की ओर पूर्ण ध्यान दिया जाए तो नारी स्वयं अपने उत्थान के लिए कई नियमों, अपने अधिकारों, अपने पैरों पर खड़ी होने के बारे में जान सकेगी। भारत में यदि नारी को पूर्ण अधिकार मिले और उसका शोषण समाप्त हो जाए तो भारत की प्रगति में तीव्र गति से प्रगति होगी।

हमारे देश का संविधान महिलाओं के लिए तीन तरीकों से विशिष्ट मंशा रखता है।

१. संविधान महिलाओं और पुरूषों में लैंगिक भेदभाव मिटाने की मंशा रखता है।
२. संविधान इस बात को तूल देता है कि महिलाओं को पारिवारिक रूप से प्रताड़ित किया गया है तथा हीन समझा गया है। इस अन्याय को समाप्त करने के लिए . संविधान सरकार को महिलाओं के हित में विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है।
३. संविधान निहित रूप से यह उम्मीद रखता है कि सरकार कमजोर वर्गों, जिनमें महिलाएं शामिल हैं, की स्थिति सुधारने के लिए विशेष प्रयत्न करेगी। मूल संवैधानिक अधिकारों में समानता के अधिकार का महिलाओं के लिए विशेष महत्व है। समानता के अधिकार के अनुसार महिलाओं को पुरूषों के साथ-
सार्वजनिक नोकरियों में समान अधिकार है।
समान वेतन का अधिकार है।
कानूनी अधिकार के दो उपभेद किए जा सकते हैं-
अ. सामाजिक अथवा नागरिक अधिकार
ब. राजनैतिक अधिकार

अ. सामाजिक अथवा नागरिक अधिकार

समानता का अधिकार

समानता का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। समानता का अधिकार प्रजातंत्र की आत्मा है। संविधान के द्वारा नागरिकों को अग्रलिखित पाँच प्रकार की समानताएं प्रदान की गई हैं :

कानून के समक्ष समानता

इस व्यवस्था का आशय यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एकसा कानून का व्यवहार एक-सा होगा।

सामाजिक समानता

कानून के द्वारा निश्चित कर दिया गया है कि सब नागरिकों के साथ दुकानों, होटलों तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे- कुओं, तालाबों, स्नानागारों, सड़के आदि पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा।

सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता

अनुच्छेद १६ के अनुसार ``सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्त के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जायेगा।``

अस्पृश्यता का अंत

अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी अयोग्यता को लागू करना अपराध घोषित किया गया है, जो कानून के अनुसार दण्डनीय होगा।

उपाधियों का अंत

ब्रिटिश शासन काल में राय बहादुर, खान साहब, सर आदि की उपाधियाँ दी जाती थीं, नवीन संविधान के अंतर्गत उनका अंत कर दिया गया है, नवीन संविधान के अंतर्गत भारत राज्य के प्रति की गई सेवाओं के उपलक्ष्य में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री आदि उपाधियों की व्यवस्था की गई है।

स्वतंत्रता का अधिकार

भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है, ४४ वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ-साथ संपत्ति की स्वतंत्र्यता भी समाप्त कर दी गई है और अब नागरिकों को छह स्वतंत्रताएं ही प्राप्त हैं:

- **विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता**
- **अस्त्र - शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता**
- **समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता**
- **भ्रमण की स्वतंत्रता**
- **निवास की स्वतंत्रता**
- **व्यवसाय की स्वतंत्रता**
- **कानून का उल्लंघन न होने तक दण्ड से स्वतंत्रता**
- **जीवन और शरीर रक्षण का अधिकार**

राजनीतिक अधिकार :

राजनीतिक अधिकारों का तात्पर्य उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और जिनके माध्यम से व्यक्ति प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शासन प्रबंध में भाग लेता है।

(अ) मत देने का अधिकार - वर्तमान समय के विशाल राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था संभव नहीं रही है और इसलिए प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र के रूप में एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है और इन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन कार्य किया जाता है।

(ब) निर्वाचित होने का अधिकार - प्रजातंत्र में शासक और शासित का कोई भेदभाव नहीं होता और योग्यता संबधि कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी नागरिकों को जनता के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होता है।

(स) सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार - व्यक्ति को सभी सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार होना चाहिए और इस संबंध में योग्यता के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पद भेद नहीं किया जाना चाहिए।

(द) आवेदन पत्र एवं सम्मति देने का अधिकार - लोकतंत्र का आदर्श यह है कि शासन का संचालन जनहित के लिए किया जाए।

१९ वीं शताब्दी के सुधार आन्दोलनों के बीच स्त्री के अस्तित्त्व को प्रमुखता देने का दौर १८२८ में प्रारंभ हुआ। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना के साथ स्त्री जीवन को वैदिक आदर्शों की ओर उन्मुख किया। १८२९ में ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास कराया। १९०२ तक आते-आते स्त्रियाँ कुछ क्षेत्रों में नौकरी भी करने लगीं।

भारतीय नारी को ऊँचा उठान के लिए भारत में जितने भी प्रयास किए गए हैं, दुनिया का कोई भी देश इस दिशा में उसकी समकक्षता नहीं कर सकता। राजा राममोहन राय और स्वामी दयानन्द से लेकर महर्षि कर्वे तक नारी-उत्थान के प्रयासों का एक महत्त्वपूर्ण इतिहास है।

स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था कि ``जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। किसी भी पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है।``

२० वीं शताब्दी में गांधी जी ने महिलाओं को राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। लाखों स्त्रियों ने स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया एवं स्त्री अपनी शक्ति का अन्वेषण करने लगी। महात्मा गांधी ने भारत की स्तियों को अनेक अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ``यदि जनता में जागृति पैदा करनी है तो महिलाओं में जागृति पैदा करो, एक बार जब वे आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, गाँव व शहर आगे बढ़ता है एवं सारा देश आगे बढ़ता है।``

स्वतंत्र भारत में १९५५ में हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया जिसमें स्त्रियों को पुरूषों के समान अधिकार दिए गए। १९५६ में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, १९६१ में दहेज निरोधक अधिनियम पारित किए गए।

७३ वें संविधान संशोधन में प्रावधान था कि पंचायतों के तीन स्तरों पर अर्थात ग्राम पंचायत, पंचात समिति और जिला पंचायत पर महिलाओं की एक - तिहाई भागीदारी, सदस्य और अध्यक्ष दोनों तरह के पदों पर होगी। इस प्रकार इस प्रावधान से पंचायतों के लगभग ३४ लाख पदों में से ११ लाख पद महिलाओं के लिए सुनिश्चित हुए हैं।

नई व्यवस्था के अंदर पंचायती राज संस्थाओं में दो-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षित की गई है। आरक्षण के इस प्रावधान में सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछडे वर्ग की महिलाओं के लिए भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में एक-तिहाई स्थान आरक्षित किए गए।

पंचायतों में महिलाओं की भूमिका को अधिक प्रभावशाही बनाने की आवश्यकता है।

आज हमारे देश में जो अनगिनत समस्याएं छाई हुई हैं, उन्हें सुलझाने में देश की नारियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। राष्ट्र का मंगल समाज का कल्याण और अपना व्यक्तिगत हित ध्यान में रखते हुए नारी को अज्ञान के अंधाकर से निकालकर प्रकाश में लाना होगा। चेतना देने के लिए उसे शिक्षित करना होगा।

आज का युग नारी स्वतंत्रता का युग कहा जाता है। वस्तुत: आज भारतीय नारियों को पहले की अपेक्षा बहुत अधिक स्वतंत्रता मिली है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता, किंतु उस स्वतंत्रता को वास्तविक भुमि अभी भी नहीं मिल सकी है। आज भी उसके अधिकार एवं शक्ति को कई अर्थों में नजर अंदाज कर दिया गया है।

गाँवों का विकास स्त्री शिक्षा पर ही आधारित है। यदि गाँवों की प्रगति हम चाहते हैं तो गांवों को शहरों से जोड़ा जाना चाहिए और यह कार्य तभी संभव है जब ग्रामीण स्त्री शिक्षित होगी। ग्रामों के विकास एवं उन्नति के लिए लड़कियों को आत्म विश्वासी बनाना आवश्यक है। ग्रामीण लड़कियों के लिए पाठ्यक्रम जीवनोपयोगी हो। वे सैद्धांतिक ज्ञान कक्षाओं में पाती हैं और व्यावहारिक ज्ञान उन्हें गाँवों में जाकर मिलता है। हमारे यहाँ के पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को औपचारिक एवं अनोपचारिक शिक्षा देना है। इसके माध्यम से उन्हें अंधविश्वास, सफाई, पोषण, कुरीतियों के संबंध में जागृत करते हैं।

अत: स्त्री शिक्षा के द्वारा जीवन तथा आशाओं के साथ संबंधित करने और इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के लिए सुधार करने से अधिक आवश्यक कोई कार्य नहीं है।

महिला अधिकारों का हनन रोकने, उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने तथा स्वाभाविक हक दिलाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाओं का गठन किया गया है, जो महिलाओं को शोषण से मुक्त कराकर अधिकरों के प्रति जागरूक कर रही है। केंन्द्र द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक राष्ट्रीय नीति लागू की जा रही है। देश में महिलाओं के प्रति हो रही घरेलू हिंसा के प्रति भी केन्द्र सरकार कानून बनाने का विचार कर रही है। महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को हासिक करने के लिए सरकार महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम सम्बन्धी मौजूदा कानूनों के संशोधन पर भी विचार कर रही है। विश्व स्वास्थ संगठन के अनुसार प्रति वर्ष पाँच सौ से हजार महिलाएँ जागरूकता के अभाव में मृत्यु की ग्रास हो जाती है। यदि इन्हें अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाए तो न केवल इनके स्वास्थ्य एवं शिक्षा में ही सुधार होगा, वरन् इनके द्वारा महिला स्थिति को सुधारने में निश्चित ही सहायता मिलेगी।

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रमण्डल के महिला मामलों के मंत्रियों की छठी बैठक का उद्घाटन करते हुए कहा था कि ``महिलाओं के मानवाधिकार सुनिश्चित करना सभी नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा, लोकतांत्रिक भार की महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। इस प्रतिबद्धता के अनुगमन के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला पारिवारिक अदालत के नाम से महिला लोक अदालतों को प्रायोजित करने का निर्णय लिया।`` आयोग द्वारा अपने छोटे से कार्यकाल में ७२ अदालतें प्रायोजित की गईं। इन अदालतों में २०० से अधिक मामले निपटाये गए।

संदर्भ ग्रंथ :

१. महिला सशक्तिकरण - रमा शर्मा एम.के. मिश्रा